न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 132/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
चेनाराम पुत्र स्व. रामजीवण जाति जाट निवासी खेतास तहसील व जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानराम अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23.12.19

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) नागौर द्वारा ग्राम जीवनबेरा के नामान्तरकरण सं. 468 निर्णय दिनांक 23.10.15 से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.04.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 468 दिनांक 23.10.15 की फोटोप्रति, नकल खतोनी संवत 2067–70 की प्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 11.11.14 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के फर्द अहकाम दिनांक 27.11.15 से 26.02.18 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के प्रकरण सं. 7171/15 के फर्द अहकाम दिनांक 9.11.15 से 20.11.15 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 27.11.15 की फोटोप्रति, तहसीलदार को प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट द्वारा बार बार तहसीलदार नागौर के चक्कर काटने के भी राजस्व मंडल के आदेशानुसार म्यूटेशन सं. 468 को निरस्त नही करने व खातेदारी का इन्द्राज अपीलांट के नाम से नही करने के कारण अपीलांट ने दिनांक 5.4.18 को म्यूटेशन जैर अपील की प्रमाणित नकल मांगी जो दिनांक 5.4.18 को सांय करीब 6 बजे मिली जिसे लेकर अपीलांट नया गांव गया व 6.4.18 को अपील के खर्चे की व्यवस्था करके वापस नागौर आया तब तक अदालत का समय समाप्त हो गया तथा 7.4.18 व 8.4.18 को शनिवार व रविवार का अवकाश होने से अपील दिनांक 10.04.18 को पेश की गई। जिसे अंदर मयाद स्वीकार की जाकर सुनवायी की जाकर स्वीकार की जानी आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–म्यूटेशन सं. 468 वर्तमान मे खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–विवादित भूमि 1972 मे राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है तथा रेकार्डेड खातेदार से ही अपीलांट ने यह खेत खरीदा है तथा खरीदने के बाद तुरंत अपीलांट के नाम म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर अपीलांट रेकार्डेड खातेदार हो गया लेकिन बाद मे रेस्पोडेन्ट ने 2006 मे विवादित खेत को गै.मु. अंगोर दर्ज होना बताकर रेफरेन्स हेतु कार्यवाही की जो आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व मंडल अजमेर के पास रेफरेन्स भेजा गया जहां से नोटिस आने पर अपीलांट ने अपनी तरफ से वकील नियुक्त कर लिया तथा प्रकरण सुनवायी मे चल रहा था। लेकिन चालू प्रकरण मे अपीलांट के अधिवक्ता के किसी कारण से उपस्थित नही होने की वजह से रेफरेन्स मे इकतरफा आदेश हो गया तथा इसी आदेश की पालना मे रेस्पोडेन्ट ने म्यूटेशन सं. 468 जैर अपील को स्वीकार करते हुए विवादित खेत को अपीलांट की खातेदारी की

अपर कलक्टर, नागौर

बजाय गै.मु. अंगोर दर्ज कर दिया इस बात का पता चलते ही अपीलांट ने राजस्व मंडल अजमेर मे कार्यवाही की जिस पर राजस्व मंडल ने दिनांक 27.11.15 को रेफरेन्स प्रकरण को वापस सुनवायी हेतु स्वीकार किया तथा अपने आदेश दिनांक 11.11.14 को निरस्त कर दिया व अपीलांट के पक्ष मे स्थगन आदेश भी जारी किया जो आदेश लाकर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन के साथ पेश किया व निवेदन किया कि जिस आदेश की पालना मे म्यूटेशन भरा गया है वह आदेश खारिज किया जा चुका है इसलिये म्यूटेशन सं. 468 को खारिज किया जाकर वापस विवादित खेत की खातेदारी पूर्व की भांति अपीलांट के पक्ष मे इन्द्राज की जावे। आवेदन पेश करते समय सारे कागजात देखकर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को कहा कि इन्द्राज सही कर देगे व म्यूटेशन सं. 468 खारिज कर देगे लेकिन बार बार अपीलांट के द्वारा चक्कर लगाने के भी अपीलांट को यह अपील करनी पड रही है जो स्वीकार की जाकर म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम से म्यूटेशन सं. 468 के पूर्व की राजस्व रेकर्ड की स्थिति का इन्द्राज कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा करीब ढाई वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही बताया गया है। जबकि देरी के लिये प्रत्येक दिन का हिसाब देना होता है। इसलिये अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही है। नामान्तरकरण सं. 468 दिनांक 23.10.15 रेफरेन्स सं. 278/09 सरकार बनाम चेनाराम मे राजस्व मंडल की अनुपालना मे भरा गया है। जो विधिसम्मत है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा जीवनबेरा के नामान्तरकरण सं. 468 दिनांक 23.10.15 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे माननीय राजस्व मंडल अजमेर के रेफरेन्स/एलआर/8186/2009/नागौर सरकार बनाम चेनाराम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत दिनांक 11.11.2014 के द्वारा अंगोर भूमि मे से किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने से नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार किया गया है। जिसकी अपीलांट द्वारा राजस्व मंडल मे पुर्नविचार याचिका मंडल मे प्रस्तुत की गई है। जिसके आधार पर पुनः खातेदारी अधिकार बहाल करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि राजस्व मंडल मे पुर्नविचार प्रकरण वर्तमान मे भी लंबित है तथा नामान्तरकरण कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है जिससे स्वत्व अधिकार उत्पन्न नही होते है तथा लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायिक आदेश की पालना मे भरा गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर